


87

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/4231/18/भू0रा0/रीवा

तीरथप्रसाद बनाम मुन्नीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-07-18 रीवा कैम्प	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0एन0 मिश्रा उपस्थित हुए। प्रकरण में उन्हें कायमी पर सुना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरांत प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से अग्रहय किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

